

भारत,

संयुक्त शिक्षण निदेशिका

3110

सचिव

कोन्दीप नागपूर जिल्हा ६ तालुका

शिक्षा केंद्र-1 समुदाय केंद्र

प्रातिपदिकेः प्रथमः = प्रातिपदिकेः प्रथमः

पि-एन०५७९३०

03 मार्च 2014

विषय-अनवार पब्लिक स्कूल गौरीगढ़, जिला जयपुर, राजस्थान को अधीन गेएस050, नई दिल्ली से सम्बंधित कि. नं. 11/2017-18 रखा जाना।

संक्षेपः

[illegible]

विद्यालय की शिक्षा के माध्यम से समस्त समय पर नैतिकीकरण करना आवश्यक है।

निर्धारण के लिए निदेशक द्वारा निर्धारित एक अनुसूची द्वारा।

विद्यालय में एक छात्र को पसंद करने के लिए सुझाव दिए जाते हैं।
कक्षा के माध्यमिक शिक्षा परिषद / जेनरल शिक्षा परिषद
द्वारा तय किए गए विद्यार्थी सूची में अधिकतम 10 तक नहीं लिखा जाएगा।

3. स्थ. द्वारा प्राप्त अनुदान के तैसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि यह के विद्यालय सम्बन्धित शिक्षा विभाग से मांग्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बन्धित मांग्यता बोर्ड ऑफ़ टैक्नीकल एजुकेशन में दिल्ली/कौन्सिल फार दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट एक्जामिनेशन, नई दिल्ली के जाते होती हैं। तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बन्धित प्राप्त होने की तिथि से 3000 रु. तक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मांग्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा।

5. संस्था के शैक्षिक एवं शिस्तपूर्ण कर्मचारियों को राजस्वीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुसूचित वेतनमान तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्तों नहीं दिये जायें।

उ. कर्मचारियों को सेवा में लाने की योजना और उन्हें काम में ला सकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कर्मचारियों को सेवा में लाने का काम सम्पन्न कराये जायें।



7. राज्य सरकार द्वारा समक-समय पर जा में आदेश निर्गित किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय के रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र प्रक्रियाओं में रखा जायेगा।
9. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पुरानुबोधन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन नहीं किया जायेगा।

2- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार की झूठ या शिथिलता बरती जाती है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस ले लिया जायेगा।

सर्वदास

(अखिलेश पाण्डेय)

सदस्य सचिव/संयुक्त शिक्षा निदेशक

आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़

पृष्ठ सं/एनओसी

6468-75

/2012-13 तदु दिनांक

प्रतिलिपि- विन्तालिखित का संघ में सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. आयुक्त, आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।
3. शिक्षा निदेशक (मा०), उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. जिलाधिकारी, आजमगढ़।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक, आजमगढ़।
6. निरीक्षक, आर्य समाज विद्यालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7. प्रबन्धक, अनवर पब्लिक स्कूल, गंधना, कूलपुर, आजमगढ़।
8. गार्ड फाइल।



(अखिलेश पाण्डेय)

सदस्य सचिव/संयुक्त शिक्षा निदेशक

आजमगढ़ मण्डल, आजमगढ़।